संख्या-38/2024/263/001-23-9-2024-23-9002-002-3-2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज, उ0प्र0

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2024

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत जनपद महराजगंज के 01 चालू कार्य के अवशेष आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित आपके पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा पूर्व में स्वीकृत जनपद महराजगंज के 01 चालू कार्य हेतु स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 89,42,000 (रुपये नवासी लाख बयालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	जिलाधिकारी का पत्र	जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत/ प्राविधिक लागत	बचत	बचत के पश्चात कार्य की लागत	पूर्व में आवंटित धनराशि (लैप्स की धनराशि रू0 15.38 लाख को छोड़कर)	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	220/ए-2/23-24, दिनांक 20.02.2024	महराजगंज	कवलपुर में सोनौली मंदिर से उखड़हिया प्रथम एवं द्वितीय मार्ग के नव निर्माण कार्य।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019-07 एससीपी/ 2019 , दिनांक 09.12.2019	159.22	6.11	153.11	63.69	89.42	89.42
			योग							89.42

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) उक्त मार्गों के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 89,42,000 (रुपये नवासी लाख बयालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892800 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 38/2024/263/001-23-9-2024-23-9002-002-3-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।
6- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।
7- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।
8- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो01नि0वि0, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
11- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
14- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।